



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 579 राँची, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर, 2024

संचिका सं०-I/SMP-4720/2024-1500--सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2024 से 31.12.2024 तक आम जनों/व्यक्तिगत क्रेताओं को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के निमित्त घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति-2017 के अनुसार झारखण्ड राज्य अन्तर्गत पड़ने वाले श्रेणी-(Category-I) के बालूघाटों से बालू का उपयोग निजी, गैर-व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य से स्वामिस्व, कर आदि से मुक्त करते हुए ग्राम पंचायतस्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा संचालन किया जाता है। उक्त घाटों से स्थानिय जनों हेतु बालू 1/- रुपया प्रति घन फीट के देय सांकेतिक शुल्क पर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध है ।

2. झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति-2017 के प्रावधान के अनुरूप झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य अवस्थित Category-II के बालू-घाटों का संचालन सभी वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करते हुए किया जाता है। वर्तमान में क्रेताओं को बालू की बुकिंगक्रय निगम के बेवसाईट (www.jsmdc.in) में दिए गए Online Sand Booking website अथवा JSMDC Sand Consumer Mobile App के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में उक्त घाटों से बालू 7.50/- (अतिरिक्त @5% GST) रुपया प्रति घन फीट की दर से उपलब्ध करायी जा रही है ।

3. झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा विभिन्न जिलों में श्रेणी-II (Category-II) के 23 बालूघाट संचालित है। सरकारी एवं अन्य परियोजनाओं में, वृहत तौर पर निर्माण कार्यों में बालू की आपूर्ति की वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत क्रेताओं को दिनांक 01.08.2024 से 31.12.2024 तक उचित दर पर वैध बालू खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वयं के उपयोग के लिए व्यक्तिगत क्रेताओं (गैर-आयकर दाताओं) को श्रेणी-II (Category-II) के बालूघाटों से निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराया जाना है। व्यक्तिगत क्रेताओं में सरकार के द्वारा दी गयी व्यक्तिगत लाभ की योजना भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ।
4. झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के आलोक में राजस्व, वैधानिक शुल्क के भुगतानों तथा बालू खनिज के मूल्य के विरुद्ध उक्त अवधि में लगभग 20.51 करोड़ (बीस करोड़ इक्यावन लाख) रुपये का वित्तीयभार निगम पर होने की संभावना है। कंडिका-3 में प्रस्तावित निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के आलोक में निगम पर होने वाले वित्तीय भार को राज्य सरकार द्वारा निगम को प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ।
5. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति एवं अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त है ।
6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक- 29.08.2024 की बैठक में मद् संख्या-40 के रूप में कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार सिंह
सरकार के सचिव ।
